प्रेस नोट- मॉनीटरिंग सेल

जनपद शाहजहाँपुर

दिनांक-19.11.2026

ऑपरेशन कन्विक्षनः अवैध मादक पदार्थ विक्री के मामले में शाहजहाँपुर पुलिस की प्रभावी पैरवी।

02 अभियुक्तों के कब्जे से 2 किलो ग्रा0 हिरोइन/मार्फिन बरामद होने के आरोप मे 15-15 बर्श का सश्रम कारावास एवं 150000-150000रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

श्री राजीव कृष्ण, पुलिस महानिदेषक महोदय,उ0प्र0 के आदेशानुसार जघन्य अपराधों में संलिप्त अभियुक्तों को माननीय न्यायालय से अधिकतम एवं कठोर दण्ड दिलाये जाने हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के क्रम में श्री रमित शर्मा,अपर पुलिस महानिदेशक बरेली परिक्षेत्र बरेली एंव श्री मुनिराज जी, पुलिस उपमहानिरीक्षक,बरेली परिक्षेत्र, बरेली के निर्देशानुसार श्री सौरभ दीक्षित, पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के कुशल निर्देशन मे शाहजहाँपुर पुलिस द्वारा अभियोजन विभाग के साथ प्रभावी समन्वय स्थापित कर जघन्य अपराध के मामले में न्यायालय से सश्रम सजा दिलाने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई है।

श्री देवेन्द्र कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक नगर तथा श्री शुभम वर्मा, क्षेत्राधिकारी सदर/प्रभारी पैरवी के कुशल पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल, थाना कटरा पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा प्रकरण की निरन्तर प्रभावी पैरवी की गई। पुलिस टीम द्वारा प्रकरण से सम्बन्धित साक्ष्यों एवं कुल 05 गवाहो को समयबद्व रूप से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कराया गया तथा अभियोजन पक्ष द्वारा पैरवी सुनिश्चित की गई। जिसके परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय ए0डी0जे0-42कोर्ट, शाहजहाँपुर द्वारा अभियुक्तगण 1. शोएब खान पुत्र सूबेदार खान नि0 ग्राम सनौआ थाना सी0बी0गंज बरेली 2. हबीब खान पुत्र बुन्दन खान नि0 गोविन्दापुर थाना सी0बी0गंज बरेली को 15-15 बर्श का सश्रम कारावास व 150000-150000 रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

कटरा पुलिस की सतर्कता एंव त्वरित कार्यवाही से 2 किलो ग्राम हिरोइन/मार्फिन बरामद, मादक पदार्थों के व्यापार का भंडाफोड, अभियुक्त गण को न्यायालय से 15-15 बर्ष का सश्रम कारावास।

दिनांक 08.11.2022 को थाना कटरा मे तैनात उ0नि0 राजकुमार श्रीवास्तव मय उ0नि0 श्री रतिराम सिंह व मय हमराही गण के थाना क्षेत्र में भ्रमणषील थे तभी हाइवे की तरफ से नहर की पटरी पर सामने से एक मोटर साइकिल उनकी तरफ आयी मोटर साइकिल की हेड लाइटों की रोशनीं मे अचानक पुलिस वालों को देखकर एक दम झटके से ब्रेक लगाकर रूके तथा मोटर साइकिल मोडने लगे पुलिस द्वारा रोकने पर उक्त व्यक्ति ने भागने का प्रयास किया तो पुलिस ने भागने का कारण पूछा तो दोनों ने सामूहिक रूप से बताया की साहब हमारे पास हिरोइन है जिसे लेकर हम ट्रेन द्वारा पंजाब जाने के लिये स्टेशन की तरफ जा रहे थे। पुलिस द्वारा उक्त व्यक्ति से पूछताछ की गई तो दोनों ने अपना नाम 1. शोएब खान पुत्र सूबेदार खान नि0 ग्राम सनौआ थाना सी0बी0गंज जनपद बरेली 2. हबीब खान पुत्र बुन्दन खान नि0 गोविन्दापुर थाना सी0बी0गंज जनपद बरेली बताया तथा उनके पास नशीला पदार्थ होना बताया गया पुलिस टीम द्वारा मौके पर ही क्षेत्राधिकारी तिलहर को उक्त विशय में बताया गया तथा मौके पर बुलाया गया जिसके पश्चात क्षेत्राधिकारी तिलहर की मौजुदगी में पुलिस टीम द्वारा उसकी जामातलाशी ली गयी तो उसके कब्जे से 2 किलो ग्राम हिरोइन/मार्फिन बरामद हुई। पुलिस टीम द्वारा मौके पर आश्यक वैधानिक कार्यवाही की गई तथा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई। विवेचना के दौरान एकत्रित भौतिक एवं मौखिक साक्ष्यों तथा अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के आधार पर अभियोजन पक्ष द्वारा मामले को मजबूती से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। पुलिस एंव अभियोजन की निरन्तर एवं प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप न्यायालय द्वारा 1. शोएब खान पुत्र सूबेदार खान नि0 ग्राम सनौआ थाना सी0बी0गंज जनपद बरेली 2.हबीब खान पुत्र बुन्दन खान नि0 गोविन्दापुर थाना सी0बी0गंज जनपद बरेली को दोषसिद्ध पाते हुए 15-15 बर्ष के सश्रम कारावास एवं प्रत्येक को 150000-150000रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

सजा प्राप्त अभियुक्त का विवरण-

1. शोएब खान पुत्र सूबेदार खान नि0 ग्राम सनौआ थाना सी0बी0गंज जनपद बरेली।
2. हबीब खान पुत्र बुन्दन खान नि0 गोविन्दापुर थाना सी0बी0गंज जनपद बरेली।

प्रकरण का विवरण-

मु0अ0सं0 556/2022, 557/2022 धारा 8/22(ग) एन0डी0पी0एस0एक्ट थाना कटरा जनपद शाहजहाँपुर, प्रकरण मे अभियुक्तगण 1. शोएब खान पुत्र सूबेदार खान नि0 ग्राम सनौआ थाना सी0बी0गंज जनपद बरेली 2. हबीब खान पुत्र बुन्दन खान नि0 गोविन्दापुर थाना सी0बी0गंज जनपद बरेली के कब्जे से 2 किलो ग्रा0 हिरोइन/मार्फिन बरामद होने का आरोप था। प्रकरण में थाना कटरा पुलिस, मॉनीटरिंग सेल एवं अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए कुल 05 साक्षियों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कराया गया तथा उपलब्ध साक्ष्यों को मजबूती से रखा गया। परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण 1. शोएब खान पुत्र सूबेदार खान नि0 ग्राम सनौआ थाना सी0बी0गंज जनपद बरेली 2. हबीब खान पुत्र बुन्दन खान नि0 गोविन्दापुर थाना सी0बी0गंज जनपद बरेली को 15-15 बर्ष के सश्रम कारावास एवं 150000-150000रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

ऑपरेशन कन्विशन के तहत शाहजहाँपुर पुलिस की प्रतिबद्धता -

शाहजहाँपुर पुलिस द्वारा जघन्य अपराधो में अपराधियों को कानून के कठघरे तक पहुंचाने के साथ-साथ न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर उन्हे कठोर दण्ड दिलाने का अभियान निरन्तर जारी है ऑपरेशन कन्विशन के माध्यम से अपराधियों कानून का भय एवं आमजन में सुरक्षा का विश्वास कायम करने की दशा में प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।